



2026:AHC:31183

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2128/2026

चंद्रावती देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार पांडे, सोमेंद्र कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कार्यरत है। वह मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर पदोन्नति चाहती है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम निस्तारण चौथे प्रत्यर्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला-मिर्जापुर द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विपक्षी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, चौथे प्रत्यर्थी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और चौथा प्रत्यर्थी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा, तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए उस पर निर्णय देगा। यदि चौथे प्रत्यर्थी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो दस्तावेज़ उन्हें प्रेषित किए जाएँ।
7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"